

प्रति,

अध्यक्ष,
सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,
उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश,
चौथी मंजिल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462 004

आवेदक :–	विरुद्ध	अनावेदक:–
----------	---------	-----------

निर्देश :—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस ई डी) की धारा 18 के अधीन

मै मेसर्स की ओर से मैं प्राधिकृत प्रतिनिधि हूं। यह फर्म एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म / लघु उद्यम इकाई है। इस इकाई द्वारा मेसर्स को सामग्री / सेवा का प्रदाय किया गया है, परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार फर्म को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, मैं व्यक्तित्व होकर यह निर्देश प्रस्तुत करता हूं प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार है :—

1. उद्योग आधार नम्बर (दस्तावेज क्रमांक-1 पृष्ठ –)
(टीपः—एमएसएमई इकाई उद्योग आधार का पंजीयन नकलवहंकींतण्हवअण्पद ीजजचरूद्धनकलवहंकींतण्हवअण्पद द्वारा इकाई कर सकते हैं।) :—
2. आवेदन पत्र दाखिल करने का दिनांक (दिनांक / माह / वर्ष) :
3. व्यक्तित्व एम एस ई इकाई के ब्यौरे:
 - (1) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम :
(प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए)
 - (2) इकाई का नाम :
 - (3) पता (पिनकोड सहित) :
 - (4) राज्य :
 - (5) जिला :
 - (6) मोबाईल नम्बर :
 - (7) ई—मेल :
 - (8) व्यक्तित्व एम एस ई – सूक्ष्म लघु का प्रकार :—
4. प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) के ब्यौरे :
 - (1) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम :—
 - (2) पता (पिनकोड सहित) :
 - (3) राज्य :
 - (4) जिला :
 - (5) मोबाईल नम्बर :
 - (6) ई—मेल :
 - (7) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम प्रवर्ग (सी पी एस यू / राज्य पी एस यू /)
5. दावे के संबंध में जानकारी के ब्यौरे :—
 - (1) क्रेता / उत्तरदाता द्वारा जारी प्रदाय आदेशों के ब्यौरे सामग्री / सेवा की उपबन्धित मात्रा, एवं मूल्य के विवरण के साथ की छाया प्रतियां संलग्न करें। (दस्तावेज क्रमांक— पृष्ठ –)
 - (2) प्रदाय आदेश के विरुद्ध जारी बिल्स / इन्वाइस के ब्यौरे सामग्री / सेवा का नाम, मात्रा, एवं मूल्य, छाया प्रतियां, संलग्न करें।

